

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
<p>9 $\frac{12}{025}$</p>	<p>वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत संशोधन करवाने हेतु पेश करने पर पत्रावली आज सुनवाई पर ली गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण राजस्व विविध जीसीएमएस नंबर 2025/174 अनवान घीसाराम बनाम सरकार अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में दिनांक 24.09.2025 को न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पेज संख्या 02 के पेरा 2 में त्रुटिवश प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम दूदनी (बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 634/1 रकबा 0.56 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिये कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम लालराई पटवार हल्का सेसली तहसील बाली के खसरा नंबर 1265 रकबा 0.0600 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1513/1136 रकबा 0.4400 हैक्टर लिखा गया है जो गलत है जिसके कारण राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने में दुविधा उत्पन्न होने से त्रुटि को सुधार कर त्रुटि के स्थान पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बमणीया पटवार हल्का मौखमपुरा तहसील बाली के खसरा नंबर क्रमशः 349, 350, 351, 352, 353, 354, 349/1, 352/1 रकबा क्रमशः 0.0500 हैक्टर, 0.0100 हैक्टर, 0.0400 हैक्टर, 0.4800 हैक्टर, 0.5900 हैक्टर, 1.9000 हैक्टर, 0.1900 हैक्टर, 0.0400 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम बमणीया पटवार हल्का मौखमपुरा तहसील बाली के खसरा नंबर 347 रकबा 0.4900 हैक्टर किये जाने हेतु निवेदन किया है। पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड का अध्ययन किया एवं वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन के पश्चात धारा 151, 152 सीपीसी के तहत न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व विविध जीसीएमएस नंबर 2025/174 अनवान घीसाराम बनाम सरकार अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में दिनांक 24.09.2025 को पारित आदेश के पेज संख्या 02 के पैरा 2 में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम दूदनी (बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 634/1 रकबा 0.56 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिये कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम लालराई पटवार हल्का सेसली तहसील बाली के खसरा नंबर 1265 रकबा 0.0600 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1513/1136 रकबा 0.4400 हैक्टर के स्थान पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बमणीया पटवार हल्का मौखमपुरा तहसील बाली के खसरा नंबर क्रमशः 349, 350, 351, 352, 353, 354, 349/1, 352/1 रकबा क्रमशः 0.0500 हैक्टर, 0.0100 हैक्टर, 0.0400 हैक्टर, 0.4800 हैक्टर, 0.5900 हैक्टर, 1.9000 हैक्टर, 0.1900 हैक्टर, 0.0400 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम बमणीया पटवार हल्का मौखमपुरा तहसील बाली के खसरा नंबर 347 रकबा 0.4900 हैक्टर के संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।</p> <p>इस संशोधन को प्रकरण राजस्व विविध जीसीएमएस नंबर 2025/174 अनवान घीसाराम बनाम सरकार अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में दिनांक 24.09.2025 को पारित आदेश की निरंतरता में पढा जावे।</p>	<p>3</p>



सहायक जज (उप-खण्ड) एवं प्रदेव
उप-खण्ड 2025/174 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में दिनांक 24.09.2025 को पारित आदेश की निरंतरता में पढा जावे।